

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा

पत्रांक/बे०शि०/ 2645-46/2017-18 दिनांक 01/6/17

प्रबन्धक,

चेतन इन्टरनेशनल जूनियर हाईस्कूल,

सोनई, राया (मथुरा)

विषय— मान्यता नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र दिनांक 06-6-2017 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके विद्यालय को इस कार्यालय के पत्रांक/बे०शि०/4718-20/2014-15 दिनांक 30-8-2014 द्वारा प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक की अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान की गयी थी।

इस कार्यालय के उपरोक्त पत्रांक द्वारा प्रदान की गई अस्थायी मान्यता ही स्थायी मान्यता होने तक प्रभावी मानी जायेगी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मथुरा

पृ०सं०/बे०शि०/

/2017-18 दिनांक वही

प्रतिलिपि— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-मथुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मथुरा

Chetan

Manager

Chetan International School

VII. Thok Vindavani, Post-Sonai Distt. Mathura

Chetan

Principal

Chetan International School

VII. Thok Vindavani, Post-Sonai Distt. Mathura

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा

पत्रांक सं०/बे०शि०/५५१८-२०/२०१४-१५ दिनांक : ३०/८/१५

प्रबन्धक,

चेतन इन्टरनेशनल प्रोपर्टीज लिमिटेड
नो-१३ शपा (मथुरा)

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ की धारा १८ के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, २०१० के नियम १५ के उपनियम (४) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक ३१-८-२०१३ के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के समस्त पश्चात्कर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं चेतन इन्टरनेशनल प्रोपर्टीज लिमिटेड को दिनांक ०१-९-२०१४ से दिनांक ३०-६-२०१५ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा १ से कक्षा ८ तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

- उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है :-
- मान्यता को मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और इसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विद्यमान नहीं है।
 - विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ (उपबन्ध १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, २०१० (उपबन्ध २) के उपबन्धों का पालन करेगा।
 - विद्यालय कक्षा १ में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५% प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
 - पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।
 - सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
 - विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा १५ के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
 - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा;
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अध्वधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशुल्कता ग्रास्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना;

Chetan
Manager
Chetan International School
Vill. Thok Vindavani, Post-Sonai, Distt. Mathura

✓
Principal
Chetan International School
Vill. Thok Vindavani, Post-Sonai, Distt. Mathura

- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 1475 वर्ग मी.
- कुल निर्मित क्षेत्र 753-31 वर्ग मी.
- क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल
- कक्षाओं की संख्या 31- शास्त्री ले 02-80-650
- प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडागार के लिए कक्ष 13
- बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय हैं
- पेयजल सुविधा हैं
- मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई —
- बाधारहित पहुँच हैं
- अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता हैं
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 12/2... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मथुरा

पृ0सं0/बे0शि0/

/2014-15 दिनांक वही

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद-मथुरा

Chetan
Manager
Chetan International School

VIII, Thok Vindavani, Post-Sonai, Distt. M...

Principal
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
मथुरा

Chetan International School
VIII, Thok Vindavani, Post-Sonai, Distt. Mathura